

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बिरदा बनाम भगवान सहाय

तारीख हुक्म


895
2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

27/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/05/2026 को पेश हो।



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर


29/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम चक नांगल ग्राम प. नागल पुरोहित, त. आमेर स्थित वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नम्बर 1 लगायत 4, 6 लगायत 20 कुल खसरा किता 19 कुल रकबा 10.22 हैक्टेयर का जमाबन्दी में रज अनुसार व पक्षकारान की उपस्थिति में विधिवत व नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2017 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |


अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर और किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है | कानूनन पक्षकार की समुचित अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त कर उभयपक्षों की सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2017 निरस्त किये जाकर


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बिरदा बनाम भगवान सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
895 2017	<p>प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो </p> <p>निर्णय आज दिनांक 29/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया </p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर</p>	